25/6/2021

पत्रावली आज प्रार्थी के स्वयं उपस्थित होकर आवेदन पेश करने पर पेशी में ली गई। उपस्थित प्रार्थी ने निवेदन कि प्रकरण दुरूस्ती का है, जिसमें तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट आ चुकी है। अतः तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम राजस्व रेकॉर्ड दुरूस्त किया जावें। पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार, धोद से रिपोर्ट प्रस्तुत हो चुकी है, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में प्रार्थी ने निवेदन किया कि ग्राम माजीपुरा तहसील धोद के खसरा सं. 506 रकबा 0.8200 हेक्टेयर, खसरा सं. 507 रकबा 2.2900 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.1100 हेक्टेयर के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का लिखमीदास पुत्र लादूदास अंकित है। जबकि प्रार्थी का सही नाम लिखमाराम पुत्र लादूराम है। प्रार्थी के आधार कार्ड, पैन कार्ड व राशन कार्ड आदि दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम लिखमाराम पुत्र लादूराम अंकित है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम लिखमीदास पुत्र लादूदास के स्थान पर लिखमाराम पुत्र लादूराम दुरूस्त किया जावें।

389
25/6

तहसीलदार, धोद से प्रकरण के संबंध में प्राप्त का अवलोकन किया। तहसीलदार, धोद ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि "ग्राम माजीपुरा के ख.नं. 506, 507 रकबा क्रमशः 0.82 है., 2.2900 हेक्टेयर में लिखमीदास पुत्र लादूदास दर्ज राजस्व रेकार्ड है। मुताबिक पूछताछ व आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड में प्रार्थी का शुद्ध व सही नाम लिखमाराम पुत्र लादूराम जाति स्वामी है। अतः राजस्व रेकार्ड में अंकन लिखमाराम पुत्र लादूराम किया जाना उचित है। अतः राजस्व रेकार्ड में लिखमीदास पुत्र लादूराम के स्थान पर लिखमाराम पुत्र लादूराम दुरूस्त करने की अभिशंषा की जाती है।" अतः मुताबिक तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट, प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
धोद नु. सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.07.01 16:34:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अतः तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम माजीपुरा तहसील धोद के खसरा सं. 506 रकबा 0.8200 हेक्टेयर, खसरा सं. 507 रकबा 2.2900 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.1100 हेक्टेयर के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का लिखमीदास पुत्र लादूदास के स्थान पर लिखमाराम पुत्र लादूराम दुरूस्त दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद, न्यायालय सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.07.01 16:34:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner